

एम/एस एशियन पेरोक्सीडेस लिमिटेड

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 बनाम कमीशनर, ऑफ

एक्साईज, गुटूर

(2004 कि सिविल अपील संख्या 5842-5843)

7 जुलाई 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम और अफताब ओलम, जेजे)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944,

एस-3 तैयार उत्पाद के लिए छूट का दावा निर्यात उन्मुख इकाई द्वारा पूरी तरह से भारत में उत्पादित कच्चे माल से निर्मित तैयार उत्पाद व घरेलू शुल्क क्षेत्र के लिए मंजूरी दिये गये उत्पाद के लिए छूट का दावा किया गया-तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं कच्चा माल या उपभोज्य वस्तुएं बाबत विवाद-निर्णीत सीईएसटीएटी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया-मामले को नये सिरे से निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया-अधिसूचना संख्या 8/97 सीई दिनांक 01.03.1997

अपीलार्थी द्वारा (निर्यात उन्मुख ईकाई के रूप में) ईकाई द्वारा निर्मित और घरेलू शुल्क क्षेत्र के लिए स्वीकृत हाईड्रोजन पैरोक्साईड के लिए अधिसूचना संख्या 8/97 सीई दिनांक 01.03.1997 के तहत छूट चाही गई। निर्णायक प्राधिकारी द्वारा छूट देने से मना किया गया क्योंकि उसने ईकाई का दावा स्वीकार नहीं किया कि तैयार माल पूरी तरह से भारत में उत्पादित कच्चे माल से तैयार किया गया है। आयुक्त (अपील) ने यह स्वीकार किया कि तैयार उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं कच्चे माल नहीं बल्कि केवल उपभोज्य वस्तुएं थीं। सीईएसटीएटी ने राजस्व द्वारा दायर अपीलों की स्वीकृति दी। व्यथित होकर पीडित ने अपील दायर की।

अपीलो का निपटारा करते हुए न्यायालय ने माना- चूंकि सीईएसटीएटी ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित परिपेक्ष्य में विचार नहीं किया है इसलिए ओपेक्षित निर्णय अपास्त किये जाते हैं। मामले को सीईएसटीएटी को नये सिरे से विधि अनुसार निपटारा करने के लिए भेजा जाता है। सीईएसटीएटी ऐसा करते समय इस न्यायालय के वनस्थली टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पैरा ओठ) (136-एफ व जी)

वनस्थली टैक्सटाईल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कमीश्नर ऑफ सी.एक्स., जयपुर राजस्थान 2007 (218) ईएलटी 3 (एससी)

सीसीई बनाम बालारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (1989) 4 एससीसी बनाम कमीशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्सार्इज एण्ड कस्टमस इन्दोर बनाम सेंचुरी डेनिम (2001) 129 ईएलटी 657(टी)

सिविल अपील ज्युरीडिक्शन: सिविल अपील संख्या 5842-5843/2004

कस्टम और सर्विस टैक्स अपिलेन्ट ट्रब्ल्यूनल साउथ जोन बेंच, बेंगलोर, सर्किट बेंच हैदराबाद के संख्या 422-423/2004, अपील संख्या ई/181-182/2001 में दिनांकित 04.02.2004 अन्तिम आदेश से।

साथ

सी.ए संख्या 3644-3645 ऑफ 2005

आलोक यादव, राजेश कुमार और एम पी देवनाथ अपीलार्थी

ओई. वेकेन्टनारायण, नवीन प्रकाश, राहुल कौशिक और बी. कृष्णा प्रसाद, रेसेपोन्डेन्ट

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया डॉ अरजित पासायत, जे.

1. इन अपीलों में सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायालय साउथ जोनल बेंच, बैंगलोर (संक्षेप में सीईएसटीएटी) के आदेश को चुनौती

दी गई है। अपीलार्थी द्वारा निर्मित और घरेलु शुल्क क्षेत्र (संक्षेप में डीटीए) के लिए स्वीकृत हाईड्रोजन पैराक्साईड के लिए अधिसूचना संख्या 8/97 सीई दिनांक 01.03.1997 के तहत छूट के लाभ के लिए अपीलार्थी की पात्रता से सम्बंधित था। विचाराधीन अधिसूचना 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख ईकाई (संक्षेप में इओयू) में निर्मित तैयार उत्पादों को पूरी तरह से भारत में उत्पादित या निर्मित कच्चे माल से छूट देती है और भारत में बेचनेकी अनुमति देती है। उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की इतनी अधिक राशि से धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के रूप में 100% इओयू के अलावा भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर राशि से अधिक है।

2. मूल प्राधिकारी ने अपीलार्थी के इस रूख को स्वीकार नहीं किया कि उनके द्वारा इओयू से डीटीए के लिए निकाला गया तैयार माल अर्थात हाईड्रोजन पैराक्साईड भारत में उत्पादित कच्चे माल से निर्मित किया गया था।

3. निर्णय से व्यथित निर्धारिती अपीलार्थी ने आबकारी आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की जिसने अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि उपरोक्त उल्लेखित वस्तुएं कच्ची सामग्री नहीं हैं, बल्कि केवल उपभोग्य हैं और इसलिए निर्धारिती को अधिसूचना संख्या

8/97 के तहत कई कच्चे माल के सम्बन्ध में (संख्या में 11) छूट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। राजस्व ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। प्रत्येक मामले में ओपेक्षित ओदेश द्वारा सीईएसटीएटी ने राजस्व के पक्ष को स्वीकार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी अधिसूचना संख्या 8/97 के लाभ का हकदार नहीं था।

4. यह अभिनिर्धारित किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम सेंचुरी डेनिस (2001) 129 ईएलटी 657 (टी) में ट्रिबूनल ने इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित परीक्षणों को लागू किया अर्थात् क्या यह एक ऐसा घटक है जो अंतिम उत्पाद के निर्माण में जाता है इस अर्थ में कि इसकी उपस्थिति के बिना अंतिम उत्पाद असंभव हो जाता है और यह विचार किया गया कि डेनिम कपड़ों के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले इंडिगो शुद्ध लाइकरा और अन्य महत्वपूर्ण फिक्सिंग एजेंट कच्चे माल हैं और उपभोग्य नहीं हैं।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार विचाराधीन सामग्री (एक्विजम नीति के पैरा 3.13 में दी गई परिभाषा के अनुसार) कच्ची सामग्री नहीं है, बल्कि उपभोग्य है। उपभोग्य की परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ कोई भी वस्तु है जो विनिर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है या उसके लिए आवश्यकता है लेकिन अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनती है।

वे वस्तुओं जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान काफी हद तक या पूरी तरह से उपभोग की जाती हैं, उपभोग योग्य मानी जाएगी। नीति के पैरा 3.41 के अनुसार, कच्चे माल का मतलब बुनियादी सामग्रियों से है जो वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यकता हैं लेकिन जो अभी भी कच्ची प्रकृति, अपरिष्कृत या अनिर्मित अवस्था में हैं। बोर्ड के सर्कुलर नंबर 389/22/98-सीएक्स, दिनांक 5.5.98 पर भरोसा किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अधिसूचना का लाभ तब भी उपलब्ध होगा जब ओयतित उपभोग्य का उपयोग ईओयू द्वारा 100% निर्माण में किया जाता है।

6. राजस्व के विद्वान वकील ने सीईएसटीएटी के फैसले का समर्थन किया।

7. अभिव्यक्ति “कच्चा माल“ कोई परिभाषित शब्द नहीं है। इसका अर्थ सामान्य रूप से स्वीकृत अर्थ में उन लोगों की ओम बोलचाल की भाषा में दिया जाना चाहिए जो इस मामले से निपटते हैं। सीसीई बनाम बलारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (1989) 4 एसएससी 566 अन्य बातों के साथ साथ इसे इस प्रकार देखा गया।

14. किसी भी अन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिए रासायनिक प्रोद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में अन्य के साथ वो भी शामिल हो सकते हैं जो अपनी प्रमुख विशिष्ट पहचान और चरित्र पूरी प्रक्रिया में और अन्तिम उत्पाद में बनाये रखते हैं वही कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दूसरे

रसायनों व सामग्रियों के साथ परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप स्वयं के रासायनिक व गुणात्मक परिवर्तनों से गुजर सकते हैं और ऐसे परिवर्तित रूप में खुद को अन्तिम उत्पाद में पाते हैं, वह जो उत्प्रेरक एजेंटों की तरह से रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावी और तेज करते समय हालांकि स्वयं अप्रभावी और अपरिवर्तित रह सकते हैं और अन्तिम उत्पादों से स्वतंत्र व बाहर रह सकते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जल या खप सकते हैं। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अन्तिम उल्लेखित वर्ग की सामग्री स्वयं के रूप में योग्य होकर और अन्तिम उत्पाद के लिए कच्चा माल कहलाने के योग्य है।

हमारी राय में वैध पारीक्षणों में से एक यह हो सकता है कि सामग्री रासायनिक प्रक्रिया के समापन से वांछित अन्तिम उत्पाद के उद्भव के लिए इतनी आवश्यकता होनी चाहिए कि प्रक्रिया के लिए इसके महत्व और अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जलने पर उसकी खपत ही कच्चे माल के रूप में इसकी गुणवत्ता और मूल्य है।

ऐसे मामले में अन्तिम उत्पाद में इसकी अनुपस्थिति प्रासंगिक पूरीक्षण नहीं है बल्कि प्रक्रिया के वितरण अन्त में इसकी आवश्यकता उपस्थिति के लिए अन्तिम उत्पाद की निर्भरता है। घटक अन्तिम उत्पाद के निर्माण में इस अर्थ में शामिल होता है कि इसकी अनुपस्थिति के बिना, अन्तिम उत्पाद की उपस्थिति असंभव हो जाती है। इस गुणवत्ता को इस

आवश्यकता के साथ समन्वित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में है जो विनिर्माण उपकरण से अलग हो।"

20. बिक्री कर कानून, यानी आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के तहत एक मामले को निपटाते हुए, इस न्यायालय ने माना कि "उपभोज्य" शब्द का रंग लेता है और इसे उन शब्दों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए जो इसके पड़ोसी हैं "कच्चा सामग्री", "घटक भाग", "उप-संयोजित भाग" और "मध्यवर्ती भाग"। तो पढ़ें, यह स्पष्ट है कि इसमें "उपभोज्य" शब्द केवल उस सामग्री को संदर्भित करता है जिसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में निवेश के रूप में किया जाता है लेकिन अंतिम उत्पाद में इस तथ्य के कारण पहचाना नहीं जा सकता है कि यह उसमें खपत हो गया है। इसी कारण से, इस अवधारणा से विचलन किया गया कि "उपभोज्य" शब्द "कच्चे माल" के व्यापक दायरे में आते हैं। इस संबंध में बिक्री कर उपायुक्त (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम मेसर्स थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड, क्विलोन (1988 (2) एससीसी 264) और कोस्टल केमिकल्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी , एपी और अन्य (1999 (8) एससीसी 465) में व्यक्त दृष्टिकोण का संदर्भ लिया जा सकता है । हस्तगत मामलों में "उपभोज्य" को "कच्चे माल" से अलग तरीके से व्यवहार किया गया है।

8. चूंकि CESTAT ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार नहीं किया है, इसलिए ओक्षेपित निर्णय प्रत्येक निरस्त किये जाते हैं। कानून के अनुसार मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए मामले को CESTAT को भेजा जाता है। ऐसा करते समय CESTAT इस न्यायालय के वनस्थली टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कॉमरेड सी.एक्स., जयपुर, राजस्थान [2007(218) ईएलटी 3(एससी)] वाले फैसले को ध्यान में रखेगा।

9. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं।

जे. (डॉ. अरिजीत पसायत)

जे. (पी. सदाशिवम)

जे. (ऑफताब ओलम)

नई दिल्ली:

7 जुलाई 2008

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा. सीमा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।